राजस्थान सरकार

# कार्यालय, प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, राजसमन्द

क्रमांक : रापॉरा/स्था./2026/1794 दिनांक: 17.07.2026

## विज्ञप्ति

तकनीकी शिक्षा निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ–8(1–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/वि.नि. 2022/6173 दिनांक 12.06.2026 एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एंवं लेखा नियम) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 के क्रम में महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा 'विद्या संबल योजना' के अन्तर्गत विद्युत अभियांत्रिकी, कम्प्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रोनिक्स अभियांत्रिकी, मेकेनिकल अभियांत्रिकी, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयों में पात्र व्यक्तियों को अस्थाई रूप से गेस्ट फैकल्टी के रूप में परिपत्र के बिन्दु संख्या 4(क) में वर्णित स्तर से विन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन आवेदन दिनांक 31.07.2026 अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन व्यक्तिशः या डाक द्वारा नियत तिथि तक प्रेषित करें एवं दिनांक 01.08.2026 को मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रातः 10:00 बजे महाविद्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होवें। इस हेतु तकनीकी शिक्षा सेवा नियम– 2017 में प्रवक्ता के पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थी/उक्त नियमों के तहत सेवानिवृत शैक्षणिक अधिकारी ही आवेदन करे। अभ्यार्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष रहेगी। विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फेकल्टी से केवल कालांश के आधार पर कार्य क़रवाया जायेगा एवं इनसे निर्धारित शपथ पत्र भरवाया जायेगा। अधिक जानकारी यथा आवेदन पत्र प्रारूप, न्यूनतम योग्यता, आवश्यक शर्तें, शपथ–पत्र हेतु महाविद्यालय नोटिस बोर्ड/वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/GovernmentPolytechnicCollegeRajsamand/90007 का अवलोकन करें।

प्राचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
राजसमन्द